प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 02935/2024-2025 दिनांक 11/11/2024

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/UNN/10799/2024-2025 पत्रावली संख्या:I-174990 दिनांक:2014-2015

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **काका भूखन सिंह गया बक्श सिंह शिक्षण संस्थान, ग्राम व पोस्ट- अजगैन, जिला-उन्नाव, उन्नाव , 209831** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1722-2014-2015 दिनांक-10/11/2014 को दिनांक-10/11/2024 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1000 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(AVANISH KUMAR SINGH)
1D87917B87F271234AA29681AFD82DE6F4484839
Date: 11/11/2024 6:29:29 PM, Location: Lucknow.

जारी करने का दिनांक-11/11/2024

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

:: नोट ::

यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में ही मान्य है| इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक, प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संबद्ध/असम्बद्ध व्यक्तिके किसी दावे , अधिकार, अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नहीं है| इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा|

Scanned with OKEN Scanner

Gram : UNIVERSITY
Web: www.kanpuruniversity.org
E-mail:csjmu@kanpuruniversity.org, registrarcsjmuknp@gmail.com
☎: 0512-2580044

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर-208024
Kalyanpur, Kanpur-208024

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./कुसका./सम्ब./145/2021 दिनांक : 24/8/2021

सम्बद्धता-आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा (दिनांक: 21.08.2021) एवं कार्यपरिषद की अनुमति की प्रत्याशा में **काका भूखन सिह गया बक्श सिंह महाविद्यालय, नरायनपुर, अजगैन, उन्नाव को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत एवं भूगोल विषयों तथा विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों** में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **सत्र 2021-22** से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. **शैक्षिक सत्र 2020-21 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि संदर्भित पाठ्यक्रम/विषयों का सत्र 2020-21 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में सत्र 2021-22 से सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जायेंगे।**
2. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. संस्था कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
6. महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
7. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
8. मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
9. **महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जाएगा।**

(डा0 अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. प्रबन्धक, **काका भूखन सिह गया बक्श सिंह महाविद्यालय, नरायनपुर, अजगैन, उन्नाव** को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. परीक्षा नियंत्रक, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
6. प्रभारी, कम्प्यूटर सेण्टर को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति महाविद्यालय के कालेज लॉग-इन में अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेन्टर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
8. कुलसचिव कार्यालय।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

(डा0 अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

सम्बद्धता आदेश संख्या–सी0एस0जे0एम0वि0वि0/कुसका0/सम्ब0/145/2021, दिनांक 24.08.2021 द्वारा सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा (दिनांक 21.08.2021) एवं कार्यपरिषद की अनुमति की प्रत्याशा में **काका भूखन सिंह गया बक्श सिंह महाविद्यालय, नरायनपुर, अजगैन, उन्नाव को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत एवं भूगोल विषयों तथा विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में** स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2020–21 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

1. **शैक्षिक सत्र 2020–21 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2021–22 हेतु सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि संदर्भित पाठ्यक्रम/विषयों का सत्र 2020–21 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में सत्र 2021–22 से सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जायेंगे।**
2. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. संस्था कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
6. महाविद्यालय समय–समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
7. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या–421/सत्तर–1–2015–16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
8. मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
9. **महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जाएगा।**

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./477 /2022 **दिनांक: 28/02/2022**

प्रतिलिपि:– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. प्रबन्धक, **काका भूखन सिंह गया बक्श सिंह** महाविद्यालय, नरायनपुर, अजगैन, उन्नाव को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी0ए0 पाठ्यक्रम एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी0एससी0 पाठ्यक्रम का सत्र 2020–21 का परीक्षाफल घोषित हो गया है, जो 60 प्रतिशत से अधिक रहा है। **अतः आदेशानुसार महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत एवं भूगोल विषयों तथा विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में सत्र 2021–22 से सम्बद्धता (स्थायी) प्रदान की जाती है।**
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. परीक्षा नियंत्रक, सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर।
5. सम्बन्धित को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को महाविद्यालय की कालेज लॉगिन पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

डॉ0(अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

T: UNIVERSITY
eb: www.kanpuruniversity.org
E-mail:csjmu@kanpuruniversity.org, registrarcsjmuknp@gmail.com
☎: 0512-2580044

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर–208024
Kalyanpur, Kanpur-208024

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./कुसका./सम्ब./184/2021 दिनांक: 24/08/2021

सम्बद्धता–आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा (दिनांक: 21.08.2021) एवं कार्यपरिषद की अनुमति की प्रत्याशा में **काका भूखन सिंह गया बक्श सिंह महाविद्यालय, नारायणपुर अजगैन, उन्नाव को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत चित्रकला एवं गृह विज्ञान अतिरिक्त विषयों में** स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक: 01.07.2021 से आगामी **तीन** वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

1. संस्था/महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र–**बी** में इंगित समस्त कमियों (**यथा–** याचित पाठ्यक्रम के शिक्षक अनुमोदित नहीं है) को **दिनांक 30 सितम्बर, 2021 तक** पूर्ण करते हुए परिनियम 13.30 *"The Executive Council may direct a college not to admit students to a particulars class if the conditions laid down for starting the classes have, in the opinion of the Executive Council been disregarded by the college concerned. The classes may however be restarted with the prior permission of the Executive Council when the conditions are fulfilled to its satisfaction"* की व्यवस्थानुसार समयान्तर्गत कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त की जाएगी।
2. **यह सम्बद्धता आदेश कक्षा संचालन की अनुमति नहीं है। परिनियम 13.30 की व्यवस्थानुसार कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात अध्ययन/अध्यापन कार्य सम्पन्न कराया जायगा।**
3. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. सूची में जिन संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा। कमियों की पूर्ति सुनिश्चित कर लेने की स्थिति से अवगत कराते हुए अनिवार्य रूप से माननीय कुलपति जी से कक्षा संचालन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
7. महाविद्यालय समय–समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
8. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या–421/सत्तर–1–2015–16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
9. मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
10. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012, दिनांक: 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। कक्षा संचालन पूर्व संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित कराते हुए नियुक्ति, अनुबन्ध आदि प्रपत्र विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से **दिनांक 30 सितम्बर, 2021 तक** उपलब्ध कराया जायेगा।

(डा0 अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. प्रबन्धक, **काका भूखन सिंह गया बक्श सिंह महाविद्यालय, नारायणपुर अजगैन, उन्नाव** को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. परीक्षा नियंत्रक, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
6. प्रभारी, कम्प्यूटर सेण्टर को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति महाविद्यालय के कालेज लॉग–इन में अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेन्टर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
8. कुलसचिव कार्यालय।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

(डा0 अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

सम्बद्धता आदेश संख्या–सी.एस.जे.एम.वि.वि. / सम्ब. / 222 / 2024, दिनांक 15.07.2024 द्वारा कुलसचिव, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की अनुमति (12.07.2024) की प्रत्याशा में **काका भूखन सिंह गया बक्श सिंह महाविद्यालय, नारायणपुर, उन्नाव** को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी0ए0– चित्रकला एवं गृहविज्ञान अतिरिक्त विषयों में स्ववित्तपोषित योजना के अधीन सत्र 2024–2025 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

1. यह सम्बद्धता आदेश कक्षा संचालन की अनुमति नहीं है। परिनियम 13.30 की व्यवस्थानुसार कक्षा संचालन (*Starting the Class*) की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अध्ययन / अध्यापन कार्य सम्पन्न कराया जायगा। **(मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित न होने की स्थिति में)**
2. संस्था / महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. सूची में जिन संस्थानों / महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता / सम्बद्धता की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा। कमियों की पूर्ति सुनिश्चित कर लेने की स्थिति से अवगत कराते हुए अनिवार्य रूप से माननीय कुलपति जी से कक्षा संचालन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. यदि संस्था / महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तथा भूमि व भवन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती पत्रों में उठाये गये बिन्दुओं का पुष्टिकरण भविष्य में होता है तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली / अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
6. महाविद्यालय समय–समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
7. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या–421 / सत्तर–1–2015–16(20) / 2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
8. मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
9. महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जाएगा।
10. रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012, दिनांक: 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। कक्षा संचालन पूर्व संस्था / महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित कराते हुए नियुक्ति, अनुबन्ध आदि प्रपत्र विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से **दिनांक 15 जुलाई, 2024** तक उपलब्ध कराया जायेगा।
11. विधि पाठ्यक्रमों में महाविद्यालय द्वारा बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों के प्रवेश लिये जायेंगे। सत्र की गणना बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा सीट आवंटन के सत्र से की जायेगी।
12. विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में सम्बद्धता आदेश प्रदान करने एवं सीट आवंटन तथा कक्षा संचालन की अनुमति के पश्चात ही प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी0एस0जे0एम0वि0वि0 / सम्ब0 / 12 63 / 2024 दिनांक:– 06 / 11 / 2024

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्धक, **काका भूखन सिंह गया बक्श सिंह महाविद्यालय, नारायणपुर, अजगैन, उन्नाव** को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित विषयों का सत्र 2023–24 का परीक्षाफल घोषित हो गया है जो 60 प्रतिशत से अधिक रहा है। अतः महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी0ए0– चित्रकला एवं गृह विज्ञान अतिरिक्त विषयों में दिनांक 01.07.2024 से सम्बद्धता (स्थायी) प्रदान की जाती है।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. परीक्षा नियन्त्रक, सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर।
5. सम्बन्धित को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त पत्र महाविद्यालय के कालेज लॉग–इन में अपलोड कराने कष्ट करें।
6. प्रभारी, पी0एम0यू0 सेल, सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

डॉ0(अनिल कुमार यादव)
कुल सचिव

Scanned with OKEN Scanner